



आवेदन की तिथि 14/7/16  
 अधिसूचना की तिथि 15/7/16  
 निर्गत तिथि 16/7/16

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 695 ( ) /2014-15  
 2016-17

### आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
10/6/16	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती... लाल झरी देवी          प्रिता/पति श्री प्रभुनाथ सिंह साकिम विक्रम नरार खेतो लालन पंत पास          थाना... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।          आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा...          मौजा नं०... खाता नं०... प्लॉट नं०...          रकबा...          दलील सं०... दिनांक... के          द्वारा श्री/श्रीमती... से          प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक... को उपस्थापित करें।          अंचल अधिकारी          धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>
24/6/16	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबंदी सं०... में विक्रेता के/विक्रेता की... के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की राशि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक को जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।          लेखापित एवं संशोधित          अंचल अधिकारी          धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

के द्वारा फोटो कोपी  
 किया गया

प्रतिलिपिक / टंकक

मैंने मिलान किया

सहायक

प्रमाणित सचची प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

अंचल कार्यालय  
 धनबाद



10-5-40

नगर में निहित इस्टेटों के अधिस्वत्तियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला- धनबाद, अनुमण्डल- धनबाद अंचल- धनबाद, हल्का सं०-(III) स्टेट का नाम- झारखण्ड

आवेदन की तिथि 14/11/16  
अधिसूचना की तिथि 15/11/16  
निर्गत तिथि 15/11/16

क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्योरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1									
2	दा० खा० 695 (III) 16-17	भुपा	धनबाद 48	खाता- 06 प्लॉट- 198/1170 रकबा- 04 फस या 6-60 सौ लगान- 5020 प्रा० ला० 8-0220 आ० से०	अंचल अधिकारी धनबाद	विक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 2965 25/05/16	पुराना जमा०:- 1570 पुराना रैयत:- श्रीमति अनिता देवी पति- रवीन्द्र प्र० सिंह नया रैयत:- श्रीमती लालझरी देवी पति- श्री प्रभुनाथ सिंह सा० - किनौद नगर, रेलवे लाईन के पास धाना एवं जिला- धनबाद	जमा सं० 2901 में दर्ज किया	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ज्ञापक संख्या..... ता०..... 2015-2016  
कर्मचारी हल्का सं० (III) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

मेरे द्वारा फोटो कोपी किया गया 14/11/16  
प्रतिलिपिक/टंकक

मैंने मिलान किया  
14/11/16  
अधिकारी

प्रमाणित संख्या प्रतिलिपि  
14/11/16  
प्रधान सहायक अंचल कार्यालय धनबाद